

(भारत के राजपत्र भाग-II, खण्ड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

ईफा. सं. 4/2/2021-बीओ-I

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

26 अगस्त, 2021

नई दिल्ली, दिनांक -----

4 भाद्रपद, 1943 (शक)

अधिसूचना

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, पंजाब नैशनल बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री विजय दुबे की कार्यावधि को दिनांक 31.10.2021 से आगे उनकी अधिवर्षिता की तारीख, अर्थात् 31.8.2023 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाती है।



(संजय कुमार मिश्र)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक

भारत सरकार मुद्रणालय

मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र

रिंग रोड, नई दिल्ली